कार्यालय संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, एंटी इवेजन ब्यूरो, ग्वालियर

राज्य कर भवन, यू मेरिडियन, कलेक्टोरेट के पीछे, ग्वालियर (म.प्र.),

E-mail- dc.aebgwl@mptax.mp.gov.in, Ph./FAX- (0751) 2970787

क्रमांक/सं.आ./रा.क./ए.ई.बी./जन./2017–18/471   ग्वालियर दिनांक 19/7/17

प्रति,

आयुक्त, जनसम्पर्क
जनसम्पर्क भवन, बाणगंगा रोड
मध्यप्रदेश, भोपाल

संशोधित

विषय :– निविदा प्रकाशित करने बाबद्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का ज्ञाप क्रमांक 470 ग्वालियर दिनांक 14.07.2017।

——00——

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा निविदा प्रकाशित करने हेतु विज्ञप्ति भेजी गई थी उक्त विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन किया गया है। कृपया निम्नानुसार संशोधित निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने का कष्ट करें –

विज्ञापन–प्ररूप

"कार्यालय संयुक्त आयुक्त (राज्य कर) एंटी इवेजन ब्यूरो ग्वालियर हेतु म.प्र. जीएसटी के अधीन प्रवर्तन कार्यवाही हेतु जीएसटी में पंजीयत संस्था/फर्मो से दैनिक/मासिक दरों पर दो (8+1 सीटर) एवं दो (4+1 सीटर) टैक्सी कोटे के वाहन किराये हेतु आवश्यक है। इस हेतु सादे कागज पर मोहरबंद निविदायें अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 09.08.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाना है। जिसमें वाहन अधिकतम 12 घण्टे परिचालन हेतु वर्ष 2015 या उसके बाद के नॉन एसी मॉडल की आवश्कता है। निविदाकार से **"संयुक्त आयुक्त राज्य कर एंटी इवेजन ब्यूरो, ग्वालियर"** के पक्ष में धरोहर राशि के रूप में रू0 30,000/– का रेखांकित बैंक ड्राफट चाहा गया है। निविदा दिनांक 09.08.2017 को दोपहर 3.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जावेगी। समय अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नही जावेगा। निविदा संबंधी जानकारी एवं शर्ते विभागीय वेबसाईट **www.mptax.mp.gov.in** एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भी उपलब्ध है।"

अतः संलग्न निविदा का प्रकाशन ग्वालियर अंचल के लोकप्रिय समाचार पत्रों में दिनांक 01.08.2017 तक प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

संयुक्त आयुक्त, राज्य कर
एंटी इवेजन ब्यूरो, ग्वालियर

पृष्ठांकन क्रमांक सं.आ./रा.क./ए.ई.बी./जन./2017–18/472   ग्वालियर दिनांक 19/7/17
प्रतिलिपि :–

1 – आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इंदौर की ओर भेजकर निवेदन है, कि निविदा की विज्ञप्ति एवं शर्ते विभागीय वेबसाईट" पर डलवाने का कष्ट करें। **संलग्न – निविदा शर्ते**

2 – मुख्यलिपिक, एन्टी ईवेजन ब्यूरो, ग्वालियर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि निविदा शर्ते सूचना पटल पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त आयुक्त, राज्य कर
एंटी इवेजन ब्यूरो, ग्वालियर

निविदा

वाणिज्यिक कर विभाग के संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, एन्टी इवेजन ब्यूरो ग्वालियर के वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु दो वाहन (8+1 सीटर) नॉन एसी एवं संयुक्त आयुक्त तथा उपायुक्त एंटी इवेजन ब्यूरो ग्वालियर हेतु दो वाहन (4+1 सीटर) नॉन एसी वाहन मासिक/दैनिक किराये पर उपलब्ध कराने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है। निविदाओं की शर्ते निम्नानुसार है–

1. वाहन मॉडल 2015 से पुराना नहीं होना चाहिये।
2. निविदा में निम्नानुसार श्रेणी हेतु अलग–अलग दरें उल्लेखित की जावे :–
   अ– वाहन 8+1 सीटर हेतु दैनिक आधार पर (लगभग 12 घण्टे) एवं मासिक दर न्यूनतम 2500 किमी प्रति माह हेतु।
   ब– वाहन 4+1 सीटर हेतु दैनिक आधार पर (लगभग 12 घण्टे) एवं मासिक दर न्यूनतम 1000 किमी प्रति माह हेतु।
   स– उपरोक्तानुसार दूरी के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त किमी हेतु दर पृथक से दर्शाया जावें।
3. निविदा में वाहन का प्रकार, मॉडल आदि का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
4. किराये पर प्रदाय वाहन म.प्र. राज्य परिवहन विभाग में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये तथा निविदादाता फर्म को म.प्र. जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिये।
5. किराये की अवधि में वाहन में डीजल प्रदाय की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी तथा वाहन संधारण पर होने वाली टूट फूट, मरम्मत, बैटरी, टायर टयूब आदि के व्यय की एवं वाहन के चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व संबंधित एजेंसी का होगा।
6. निविदा की स्वीकृत दरें वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये लागू होगी।
7. वाहन प्रदाता के द्वारा ड्रायवर का स्वयं का जीवन बीमा, वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, नवीनतम रोड टैक्स एवं ड्रायविंग लाईसेंस, जीवित प्रदूषण प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। वाहन टैक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व का होना चाहिये। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन स्वामी इसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्चे वाहन प्रदाता वहन करेगा।
8. वाहन की चोरी होने या किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसका निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की रहेगी।
9. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा को डयूटी स्लिप में दर्ज कराना होगा तथा उपयोगकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। डयूटी स्लिप की दूसरी प्रति देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. वाहन चालक को वेतन भत्ते एवं अन्य खर्चे, जिसमे वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदाता स्वयं वहन करेगा।
11. वाहन चालक टैक्सी वाहन चलाने का लाइसेंसी होना चाहिए तथा उसका आचरण शालीन होना चाहिए, उसके विरूद्ध किसी भी थाने (पुलिस) पर अपराध प्रकरण पंजीबद्ध नही होना चाहिए, इस आशय का शपथ पत्र निविदाकर्ता को देना होगा तथा टैक्सी वाहन प्रदायकर्ता के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए, इस आशय का लिखित एवं अन्य उल्लेखित सभी शर्तो को मान्य करने का कथन प्रस्तुत करना होगा।
12. किराये पर लिये जाने वाले वाहन हेतु मासिक एवं दैनिक दोनो के लिये निविदा के साथ रू0 30,000/– मात्र का अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट **"संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एंटी इवेजन ब्यूरो, ग्वालियर"** के नाम देय होगा जो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
13. भुगतान करते समय नियमानुसार टीडीएस एवं जीएसटी कर काटा जावेगा। निविदाता अपना पेन कार्ड आवश्यक रूप से निविदा के साथ संलग्न करें।
14. निविदा के साथ नियमानुसार दो सील बंद लिफाफे संलग्न करने होगें जिसमें बडे लिफाफे में छोटे लिफाफे पृथक–पृथक 'अ' एवं 'ब' रखे जाये जिसमे से प्रथम लिफाफा 'अ' में (क) अर्नेस्ट मनी तथा फर्म एवं वाहन से संबंधित अन्य जानकारियां एवं शपथ पत्र तथा लिफाफा 'ब' में निविदा की दरें संलग्न की जावेगी।
15. **निविदा दिनांक 09.08.2017 को दोपहर 3.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जावेगी।** निविदाकर्ता या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो तो उनके समक्ष निविदाओं को खोला जावेगा। सर्वप्रथम 'अ' लिफाफा खोला जाकर शर्ते पूर्ण करने वाली संस्थाओं की सूची तैयार की जावेगी जिन संस्थाओं द्वारा शर्ते पूर्ण नहीं की जावेगी उनका 'ब' लिफाफा नही खोला जावेगा।
   तैयार की गई सूची के निविदादारों को न्यूनतम दरों के आधार पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय सफल निविदाकार घोषित किया जावेगा।
   प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय निविदाकर्ता को छोडकर शेष की अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जावेगी।
16. निविदाकर्ता को रू0 100 के स्टाम्प पर एग्रीमेंट करना होगा कि उन्हें समस्त शर्ते मान्य है।
17. निविदा स्वीकार होने पर संबंधित एजेंसी को वाहन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना होगा तथा निर्धारित प्रारूप में (वाहन/वाहन चालक) की जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करानी होगी।
18. किसी भी प्रकार का <u>विवाद/स्पष्टीकरण</u> पर संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एंटी इवेजन ब्यूरो ग्वालियर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी रहेगा।

यह निविदा विभागीय वेबसाईट <u>www.mptax.mp.gov.in</u> पर भी उपलब्ध रहेगी। निविदायें संयुक्त आयुक्त एंटी इवेजन ब्यूरो ग्वालियर के वाणिज्यिक कर भवन, गुलमोहर सिटी के पास सिरोल रोड ग्वालियर के पते पर डाक अथवा व्यक्तिशः उपस्थित होकर दिनांक 09.08.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/एजेंसी का नाम, पता एवं संपर्क अंकित होना चाहिए।

वास्ते/संयुक्त आयुक्त, राज्य कर
एंटी इवेजन ब्यूरो, ग्वालियर